जागरूकता से डिजिटल अपराधों से होगा बचाव : एसपी

जासं • श्रावस्ती: पुलिस लाइन सभागार में डिजिटल अरेस्ट जागरूकता व क्षमता संवर्धन विषय पर कार्यशाला हुई। एसपी घनश्याम चौरसिया व संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सहसेंदु मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। एसपी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करने और डिजिटल अरेस्ट मामलों की जानकारी देना है।

एसपी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य आम जनमानस को डिजिटल दुनिया में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह समझाना है कि डिजिटल प्लेटफार्म पर किसी भी गलत कार्य के लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट मीडिया और तेजी से विकसित हो रही तकनीक के युग में डिजिटल अरेस्ट जागरूकता का महत्व बढ़ गया है। इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जागरूकता से लोग आनलाइन फ्राड, डेटा चोरी और अन्य डिजिटल

• जागरूकता से ही आनलाइन फ्राड डेटा चोरी से बच सकते है लोग

• डिजिटल अरेस्ट जागरूकता और क्षमता संवर्धन विषय पर कार्यशाला

पुलिस लाइन सभागार में कार्यशाला को संबोधित करते एसपी घनश्याम चौरसिया • जागरण

अपराधों से बच सकते हैं। कार्यशाला में केंद्र सरकार के स्टार्टअप विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप नेतृत्वशाला और एआइ नीति, नियमन व प्रचार पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक 'फ्यूचर शिफ्ट लैब्स' ने सक्रिय भागीदारी की। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ सागर विश्नोई (जर्मनी से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग), साइबर एक्सपर्ट शुभम सिंह, आल पालिसी एक्सपर्ट प्रणव द्विवेदी व लीगल एक्सपर्ट आस्था कोहली ने डिजिटल अरेस्टिंग की तकनीक, आनलाइन फ्राड और इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में यह बताया गया कि साइबर अपराधी कैसे फर्जी वारंट और अन्य जाली दस्तावेज तैयार करते हैं। लोगों को इनसे बचने और सतर्क रहने के उपायों की जानकारी दी गई। संचालन एएसपी प्रवीण कुमार यादव ने किया। न्याय विभाग के एपीओ किसलय पांडेय, अमिय कृष्ण उपाध्याय, प्रथम महरोत्रा, दीपक, नीलाभ साहा मौजूद रहे।

साइबर अपराधियों की ओर से किए जाने वाले प्रमुख अपराध

• इंटरनेट मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर लोगों को परेशान करना।

• हैकिंग, डेटा चोरी, फिशिंग करना।

• झूठी जानकारी का प्रचार करना, जिससे समाज में हिंसा या भ्रम फैले।

• अपमानजनक सामग्री पोस्ट करके किसी की छवि खराब करना।

'अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें'

संसू, जागरण • तेजवसुर (बहराइच) : डा. सर्वेश कुमार शुक्ला ग्रुप आफ इंस्टीट्यूटशंस सक्यलापुर में मंगलवार को साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचने की जानकारी दी गई।

हेड कांस्टेबल राजू सिंह ने कहा कि किसी अपरिचित व्यक्ति की फोन काल आने पर अपने वित्तीय मामले की डिटेल कभी भी शेयर न करें। आनलाइन मदद के नाम पर रुपये मांगने वालों को बिना पहचान किए कोई धनराशि न दें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने अकाउंट का विवरण, एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर, ओटीपी नंबर व एसएमएस को शेयर न करें। अपने खाते का पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें न ही उसे कंप्यूटर या मोबाइल पर सेव करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इस मौके पर कांस्टेबल शिवाकांत, राहुल यादव, प्राचार्य हरीश नागर आदि मौजूद रहे।

कार्यक्रम | डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पुलिस लाइन में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ

डिजिटल अरेस्ट से बचने को धैर्य रखना जरूरी

श्रावस्ती, संवाददाता। तेजी से फैल रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस लाइन में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों से धैर्य बनाए रख कर इस समस्या का समाधान करने के लिए बताया गया। दूसरे दिन कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साइबर अपराधों की पहचान, धोखाधड़ी से बचने के उपायों, सतर्कता और जागरूकता की

डिजिटल अरेस्ट जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते जिलाधिकारी।

भूमिका, सुरक्षित प्रमाणीकरण के महत्व और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को डिजिटल अरेस्ट के लिए जागरूकता जरूरी है। इससे साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीख सकेंगे। पुलिस विभाग की यह पहल सराहनीय है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्या आती है तो धैर्य बनाए रखें और पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही कदम उठाएं।

कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सागर विश्नोई (जर्मनी से लाइव) डिजिटल अरेस्टिंग तकनीक और इसके उपयोग, शुभम सिंह (साइबर एक्सपर्ट मुंबई) ने ऑनलाइन फ्रॉड की पहचान और बचाव के उपाय की जानकारी दी। इसके साथ ही अमिय कृष्ण उपाध्याय व प्रणव द्विवेदी (एआई पॉलिसी एक्सपर्ट) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा कैपेसिटी बिल्डिंग पर एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार कक्ष में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक ने द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने साइबर अपराधों की पहचान, धोखाधड़ी से बचने के उपायों, सतर्कता और जागरूकता की भूमिका, सुरक्षित प्रमाणीकरण के महत्व और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर जानकारी साझा की।